न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—252/2013/223 (2013/00057)

1. बसराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती अमरी बेवा रामचन्द्र,
2. लालाराम पुत्र रामचन्द्र,
3. शिवराज पुत्र रामसुख,
4. गमला पत्नी उगमा,
5. शिवलाल पुत्र उगमा,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. रामसुख पुत्र धुकल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— शिवराज पुत्र रामसुख,
   7/2— सांवरलाल उर्फ भंवरलाल पुत्र रामसुख,
   7/3— रामराज पुत्र रामसुख,
   7/4— हेमराज पुत्र रामसुख,
   7/5— सीता पुत्री रामसुख,
   7/6— श्रीमती सुगनी पत्नी रामसुख,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 5.7.2010 अंतर्गत वाद संख्या 112/2007.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 5, 7/1 से 7/6 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.7.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधी0न्याया0 में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर (देराठू) व ग्राम दिलवाड़ा की आराजियात खाता नंबर 132/103 किता 14 रकबा 2.43 है0, खाता नंबर 148 किता 18 रकबा 1.64 है0 ग्राम दिलवाड़ा की खाता संख्या 209 किता 41 रकबा 7.51 है0 वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी, काश्तकारी की भूमियां है । उक्त अविभाजित भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अन्यत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः दावाकृत भूमियों में से विक्रय व आवंटनशुदा भूमि के पश्चात् शेष आराजियात का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड उभयपक्षकारान के मध्य किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात पूर्वजों के समय से मौखिक रूप से विभाजित कर दी गई है तथा वादी ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है । अपूर्ण पक्षकार होने से वाद खारिज योग्य है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 22.5.2009 को निर्णय पारित कर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये । तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 5.7.2010 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दावाकृत भूमियों का मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा सभी अपने–अपने अलग–अलग खेतों पर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा मौके अनुसार ही फसल काश्त कर रहे थे । वर्षो पूर्व पूर्वजों के समय में बंटवारा होने से वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह एस्टोपल के सिद्धांत से वर्जित था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । दावकृत भूमि में वादीगण का हाल खसरा नंबर 910 था तथा प्रतिवादी/अपीलांट बसराम का हाल खसरा नंबर 909 था तथा उपरोक्त अनुसार मौके पर वर्षो से काश्त करते आ रहे है तथा आज भी मौके पर अपीलांट बसराम का खसरा नंबर 909 पर कब्जा काश्त है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने मौका एवं समस्त वादग्रस्त आराजियात का किस्म मूल्य, लगान के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा त्रुटिपूर्ण एवं गलत रूप से एक दूसरे की भूमि का उल्टा अंकन करते हुए विभाजन प्रभाव तैयार किया गया जो पूर्णतया गलत एवं विधि विरूद्ध होने से इसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने पूर्वजों के समय हुए बंटवारे तथा कब्जे काश्त को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.7.2010 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.2010 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 15.5.2013 को रेस्पो0 संख्या 1 लालाराम द्वारा उसके खेत हाल खसरा नंबर 909 जिस

पर वर्षो से अपीांट काश्त करता आ रहा है तथा जो उसे बंटवारे में प्राप्त हुई थी को हड़पने की धमकी दी है तथा बंटवारे की डिक्री में मेरे नाम अंकन हो गया है तब अपीलांट को उसका खेत रेस्पो0 के नाम होने की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 16.5.2013 को अधी0न्याया0 ने प्रकरण की नकलें प्राप्त करने के लिये आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 22.5.2013 को नकले प्राप्त हुई। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात में राज्य सरकार का कोई हित नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा वाद के पैरा संख्या 1 (अ) ग्राम बारा पत्थर स्थित भूमि खाता संख्या 132 कुल किता 14 रकबा 2.43 है0 एवं (ब) खाता संख्या 148 कुल किता 18 रकबा 1.64 है0 एवं ग्राम दिलवाड़ा स्थित भूमि खाता संख्या 209 कुल किता 41 कुल रकबा 7.51 है0 भूमि के संबंध में वाद बाबत् बंटवारा, घोषणा हक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया । वाद में यह भी कथन किया कि खाता संख्या 132 के खसरा नंबर 402 में से रकबा 0.03 है0 एवं खसरा नंबर 403 में से रकबा 0.0 5 है0 एवं खाता संख्या 148 के खसरा नंबर 328 में से 0.85 है0 भूमि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा अवाप्त कर ली गई । यह भी कथन किया कि खाता संख्या 209 के खसरा नंबर 1429 रकबा 0.95 है0 रूकमणी पत्नि ओमप्रकाश, बदाम पत्नि नौरत को बेचान कर दी गई एवं खसरा नंबर 903 में से रेखा जांगीड़ पत्नि रामप्रसाद को बेचान कर दी गई एवं खसरा नंबर 923 रकबा 0.26 है0 भूमि शीला पत्नि लालाराम को बेचान कर दी गई परन्तु वादी द्वारा अपने वादपत्र में उपरोक्त विवेचित नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया एवं उपरोक्त क्रेतागण को बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत कर दिया गया जबकि उपरोक्त सभी आवश्यक पक्षकारान थे । अधी0न्याया0 द्वारा अंकित तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया गया है कि रामचंद्र पुत्र छोगा के समस्त विधिक वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा प्राप्ति के अधिकारी है परन्तु रामचंद्र पुत्र छोगा के समस्त वारिसान कौन–कौन है व कितना कितना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है । इसके अभाव में बंटवारे का वाद निर्णित कर दिया गया है जो अविधिक है । बंटवारे के वाद में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर उनका कितना–कितना हिस्सा है घोषित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.

2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे आवश्यक पक्षकारान को वाद में पक्षकार संयोजित कर सभी पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर